प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विकास एवं पंचायत विभाग,
चण्डीगढ़।

सेवा में

समस्त उपायुक्त,
हरियाणा राज्य में।

क्रमांक– दिनांकः

विषयः **ग्राम पंचायतों द्वारा "हमारी योजना–हमारा विकास" के अर्न्तगत ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए परिचालन दिशा–निर्देश।**

जैसा कि आप जानते हैं कि चौदहवें वित्त आयोग के तहत अनुदान राशि का लाभ उठाने के लिए सभी ग्राम पंचायतों केा अपने–अपने क्षेत्र के लिए समग्र विकास योजना जिसे **"हमारी योजना–हमारा विकास"** योजना कहा जाएगा तैयार करनी होगी।

इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 12097–12100 दिनांक 11.03.2016के द्वारा योजना तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा–निर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं। ग्राम पंचायत विकास योजना तैयार करने से पूर्व सभी ग्राम पंचायतों से यह अपेक्षित है कि वे **पंचायत स्तरीय उप समितियों एवं कार्य समूहों** का गठन करेगीं। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 38146–280 दिनांक 26.05.2016 के द्वारा सभी ग्राम पंचायतों को इन उप–समितियों/कार्य समूहों के गठन से संबंधित संविधान एवं अन्य विवरण खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी के माध्यम से भेजे जा चुके हैं।

विभिन्न क्षेत्रों और समस्याओं की पहचान करने के लिए ग्रामीण भागीदारी मूल्यांकन प्रभावी तरीका है।यह एक दृष्टिकोण है जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की राय को विकास परियोजनाओं और कार्यक्रमों में शामिल करना है।

सभी ग्राम पंचायतें अपनी योजना बनाते समय निम्न चिन्हित किए गए क्षेत्रों (सैक्टर)को अनिवार्य रूप से योजना में शामिल करेगीं:

1 बुनियादी सुविधाओं जैसे पीने के पानी, ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण आवास आदि
2 ग्रामीण विद्युतीकरण
3 स्वास्थ्य सेवाएं
4 गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
5 शिक्षा
6 महिला एवं बाल विकास
7 समाज कल्याण
8 सामुदायिक संपत्तिका निर्माण और रख–रखाव
9 कृषि वानिकी
10 बागवानी

11 पशुपालन

12 ग्रामीण और कुटीर उद्योग

ग्राम पंचायतों द्वारा **"हमारी योजना–हमारा विकास"** योजना को तैयार करने के लिए जो दिशा–निर्देश पूर्व से जारी किए गए है उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि योजना को तैयार करने की प्रक्रिया को सरल किया जा सके।

ग्राम पंचायतों द्वारा **"हमारी योजना–हमारा विकास"** योजना को निम्न चरणों में तैयार किया जाएगाः

चरण 1: ग्राम पंचायत संसाधन समूह (Gram Panchayat Resource Group):

ग्राम पंचायत योजना तैयार करने से पूर्व, ग्राम पंचायत संसाधन समूह (Gram Panchayat Resource Group)का गठन किया जाएगा। इस ग्राम पंचायत संसाधन समूह शामिल करना होगा :

1 सरपंच

2 ग्राम सचिव – सदस्य सचिव

3 महिला पंच

4 अनुसूचित जाति पंच

5 समाज कल्याण विभाग का प्रतिनिधि

6 आंगनवाड़ी वर्कर

7 आशा वर्कर

8 कृषि विभाग अधिकारी

9 पटवारी

10 ए0एन0एम0

11 समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति किसी क्षेत्र में विशेष कार्य किया हो।

चरण 2: स्थितिका विश्लेषण(Situtation Analysis):

विकास योजना बनाने के लिये आवश्यक है कि उसके सभी घटकों की वर्तमान स्थिति का आंकलन किया जाए। इसके उपरान्त ग्राम पंचायत के संसाधनों का विश्लेषण किया जाए है। तत्पश्चात ग्राम पचांयत को अपने संसाधनों को ध्यान में रखते हुए किए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित करनी होगी। यह कार्य ग्राम पंचायत संसाधन समूह की सहायता से किया जाएगा। स्थिति का आंकलन निम्न प्रक्रिया अनुसार किया जाएगाः

1 **बेसलाईन** सर्वे (Base line survey): इस प्रक्रिया में विकास योजना बनाने के लिये चिन्हित समस्त घटकों एवं पहलुओं की वर्तमान स्थिति का सर्वेकिया जाएगा। ग्राम पंचायत संसाधन समूह के माध्यम से, ग्राम पंचायत से सम्बन्धित जानकारी/डाटा **प्रारूप–1(संलग्नक–1 पर**

उपलब्ध है) में विभिन्न स्त्रोतों/प्रक्रियाओं के माध्यम से, वार्ड सभा व कार्य समूह(Working Group)की बैठक से पूर्व अनिवार्य रूप से एकत्रित करेगी।

2 गांव की वस्तुस्थिति, समस्याओं एवं लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए निम्न तकनीकों का प्रयोग किया जा सकता हैः–

(क) सोशल मैपिंग (Social Mapping)**:**

स्थानीय व्यक्तियों, विशेष रूप से महिलाओं के साथ मिलकरएक ऐसानक्शा तैयार किया जाएगा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों, महत्वपर्ण सस्थानों, भौतिक और सामाजिक सुविधाएं तथा अन्य सुख–सुविधाओं के अनुसार परिवारों को दर्शाया जाएगा।

(ख) ससांधन मैपिंग(Resource Mapping)**:**

ग्राम पंचायत संसाधन समूह(Gram Panchayat Resource Group), गाँव में प्राकृतिक और भौतिक ससांधनों के बारे में स्थानीय लोगों की मदद से जानकारी प्राप्तकरके ग्राम पंचायत के नक्शे पर दर्शाएंगें।

(ग) ट्रान्जैक्ट वॉक(Transact Walk)**:**

इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायत संसाधन समूह गांव में घुमकर सभी प्राकृतिक व भौतिक संसाधनों के बारे में जानकारी एकत्रित करेगें।

(घ) आजीविका विश्लेषण(Livelihood Analysis)**:**

इस प्रक्रिया में रोजगार/आजिविका को बढ़ावा देने से संबंधित जानकारी एकत्रित की जाएगी।

इसकीविस्तृत जानकारी **संलग्नक–2** पर है। जिसे आवश्यकता पड़ने पर ग्राम पंचायत–विकास योजना बनाते समय इस्तेमाल किया जा सकता है।

चरण 3: वार्ड सभा की बैठक:

वार्डका पंच वार्ड सभा की बैठक की अध्यक्षता करेगा। वार्ड के सभी निवासियों को इन सभाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाएगाताकि उनकी जरूरतों/आवश्यकताओं पर चर्चा की जा सके। वार्ड का पंच सम्बन्धित **प्रारूप–2(संलग्नक–3 पर है)** में डाटा, वार्ड सभा की बैठक से पूर्व एकत्रित करना सुनिश्चित करेगा। विचार–विमर्श के बाद, वार्ड की जरूरतों की सूची प्राथमिकता के आधार पर तैयार की जाएगी।

वार्ड सभा की बैठक का आयोजन करते समय निम्न बिन्दूओं को ध्यान में रखा जाएगाः

1 वार्ड सभा की बैठक की तिथि सुनिश्चित करने के उपरान्त तथा बैठक से पूर्व, वार्ड के सभी लोगों को मुनादी द्वारा बैठक की तिथि व स्थान की जानकारी दी जाए और उन्हें बैठक

उपस्थित रहने के लिए प्रेरित किया जाए। इस कार्य के लिए वार्ड की महिलाओं एवं युवाओं की मददी जा सकती है।

2 वार्ड सभा की बैठक में सभी विभागों के ग्रामीण स्तरीय अधिकारी, उप–समितियों के सदस्यों, कार्य समूह के सदस्यों, स्वयं–समूहों के प्रतिनिधि व समुदाय आधारित संगठनों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।

3 वार्ड सभा की बैठक में उपस्थित लोगों की सूची/हाजिरी दर्ज करना।

4 वार्ड के प्रतिष्ठित व सम्मानित व्यक्ति जैसे नम्बरदार, सेवा से निवृत सरकारी कर्मचारी/अधिकारी, भूतपूर्व सैनिक, पेशेवर डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि,ग्राम सभा में शामिल होगें और वार्ड के लोगों को ग्राम सभा में शामिल होने के लिए प्रेरित करेगें। इसके अलावा यह व्यक्ति अपने वार्ड से सम्बन्धित प्राथमिकताओं को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेंगे।

<u>चरण 4: कार्य समूह (Working Group) की बैठक:</u>

वार्ड सभा के उपरान्त कार्य समूह की बैठकआयोजित की जाएगी। कार्य समूह का गठन निम्न प्रकार से होगा:

1 पंचायत के अधीन किसी भी एक राजकीय विद्यालय का सबसे वरिष्ठ प्रधानाचार्य अथवा मुख्य अध्यापक– अध्यक्ष

2 ग्राम सचिव – सदस्य सचिव

3 माता–पिता शिक्षक संघ (Parent Teacher Association)का प्रतिनिधि

4 महिला मण्डल का प्रतिनिधि

5 साक्षर महिला समूह (एस0एम0एस0) का प्रतिनिधि

6 नेहरू युवा केन्द्र का प्रतिनिधि

7 ब्लॉक स्तर के अधिकारी

8 संबंधित विभागों जैसे कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन आदि विभागों के अधिकारी/कर्मचारी जो ग्रामीण स्तर पर काम कर रहे है को शामिल किया जाएगा।

9 ऐसे सेवानिवृत प्रतिष्ठित ग्रामीण जो सामाजिक कार्यों में रूचि रखते हो।

इस बैठक में सभी वार्ड सभाओं से प्राप्त मांगो के आधार पर एक समेकित(consolidated)सूची प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायत के उपलबध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए तैयार की जाएगा। इस समेकित सूची को उपसमिति के कार्य क्षेत्र (सेक्टर) के लिहाज **प्रारूप–3 (संलग्नक–4 पर है)**से काम कर रहे विभिन्न विभागों जैसे कृषि (बागवानी सहित), स्वास्थ्य, शिक्षा, पशुपालन, समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण के अनुसार अलग–अलग तैयार किया जाएगा । तत्पश्चात कार्य समूह परियोजनाओं का एक–एक प्रारूप (संलग्नक–4 में)अपने सुझावों सहित देगा। उदाहरण के लिए कृषि परियोजनाओं का प्रस्तावों कृषि

अधिकारी तैयार एवं कार्यान्वित किया जाएगा।इसलिए प्रत्येक उप–समिति के विभिन्न क्षेत्रों(सैक्टर) से प्राप्त सभी परियोजना प्रस्तावों को संबंधित विभागों के अधिकारियों के नेतृत्व में परियोजनाओं को तैयार करके उप–समिति के सक्षम रखेगें। कार्य समूह ग्राम पंचायत को तकनीकी सहयोग करेगें।

चरण 5: उप–समिति की बैठक:

हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में दिए गए प्रावधनों अनुसार, प्रत्येके ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित उप–समितियों का गठन किया जाना है।इन उप–समितियों का मुख्य कार्य निम्न क्षेत्र (Sector) से संबंधित कार्य देखना है:–

1. **उत्पादन उप–समिति:**–कृषि उत्पादन, पशुपालन, ग्रामीण उद्योग (लघु उद्योगों सहित) मत्स्य पालन एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों से संबंधित कार्य।
2. **सामाजिक न्याय उप–समिति –**
   - **क.**शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, खेल, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग और अन्य कमजोर वर्गों के अन्य हितों का संवर्धन।
   - **ख.** अनुसूचित जातियों और वर्गों के सामाजिक अन्याय और किसी अन्य प्रकार शोषण का संरक्षण।
   - **ग.** महिलाओं और बच्चों के कल्याणा को बढ़ावा देना।
   - **घ.** बुजुर्ग, शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग लोगों के समाज कल्याण से सम्बन्धित।
3. **सुविधा उप–समिति:**–शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, लोक निर्माण (ऊर्जा व बिजली सहित)से संबंधित कार्य देखेंगी।
4. **वित्त उप–समिति:**–पंचायत के वित्तीय खातों, दस्तावेजों(सभी केन्द्रीय अथवा राज्य आयोजित योजनाएं/स्कीमें तथा पंचायत के अपने संसाधनों से अर्जित राशि) को तैयार करना तथा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाना।
5. **ग्रामस्वास्थ्य, स्वच्छता एंव पोषण उप–समिति:–**
   - **क.** पोषणता के मुद्दों के सन्दर्भ में उसकी महत्वता के बारे में जागरूकता पैदा करना।
   - **ख.**गांव में पोषण की स्थिति और पोषक तत्वों की कमी पर सर्वेक्षण (विशेष रूप से महिलाओं एवं बच्चों के बीच)।
   - **ग.** समुदाय परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से उच्च पोषक मूल्य के स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के साथ ही प्रसार को पहचानना और सर्वोतम प्रथाओं (पारंपरिक ज्ञान) स्थानीय संस्कृति, क्षमताओं और भौतिक वातावरण के अनुकूल बढ़ावा देना।
   - **घ.** ग्राम स्वास्थ्य योजना में पोषाहार की जरूरतों का समावेश करने बारे – समिति, समुदाय और घरेलू स्तर पर कुपोषण के कारणों को ए0एन0एम0, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और आई0सी0डी0एम0 पर्यवेक्षकों को शामिल करके करेगी।

ड. निगरानी एवं पर्यवेक्षण से ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का पूरे गांव की सक्रिय भागीदारी के साथ गांव में हर महीने आयोजन सुनिश्चित करना।

च. समुदाय के कुपोषित बच्चों का जल्दी पता लगाने की सुविधा, रेफरल टाई(Referral tie) को निकटतम पोषण पुर्नवास केन्द्र (एन0आर0सी0) पर पहुंचाना व साथ ही निरंतर परिणाम के लिए उसका फोलो–अप(follow up) करना।

छ. गांव में आंगनवाड़ी केन्द्र (आंगनवाडी) के कामकाज तथा महिलाओं व बच्चों के पोषण स्तर में सुधार लाने के काम की निगरानी करना।

ज. स्वास्थ्य और पोषण के मुद्दों पर शिकायत के निवारण के लिए मंच के रूप में काम करना।

प्रत्येक उप–समिति को अपने विषय क्षेत्र पर कार्य समूह द्वारा तैयार समेकित योजनाओं का मूल्याकंन कर उनका प्रोजेक्टाइजेशन करना होगा। प्रत्येक उप–समिति को ग्राम पंचायत के लिए सैक्टर वाईज योजना **प्रारूप–4(संलग्नक–5 पर है)**में तैयार करनी होगी जिसे ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जाएगा।

ग्राम पंचायत की उप–समितियां तकनीकी और आर्थिक रूप से परियोजनाओं (जिनकी परिकल्पना कार्य समूह ने की है) का मूल्याकंन प्रभारी अधिकारी (जोकि खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी अथवा समाजिक शिक्षा पंचायत अधिकारी होंगे), ग्राम पंचायत संसाधन समूह(Gram Panchayat Resource Group) तथा कार्य समूहों(Working Group) के परामर्श से करेगीं।

चरण 6: ग्राम पंचायत की बैठक:

ग्राम पंचायत योजना बनाते समय संसाधनों का भी ध्यान रखें। यहां हम वित्तीय तथा मानव संसाधनों की बात कर रहे जो या तो पंचायत के पास उपलब्ध है या उसमें उन्हें उत्पन्न करके की क्षमता है।ग्राम पंचायत अपने संसधानों से निश्चित रूप से प्राप्त होने वाली आय का विश्लेषण करेगी तथा यह निश्चित करेगी की इसमें कितनी राशि कार्यो/प्रोजेक्ट्स पर खर्च की जाएगी।इस प्रकार चिन्हित संसाधनों का इस्तेमाल सम्मिलित(Consolidated) व संकलित(Complied) तरीके से किया जाना चाहिए।संसाधनों का निर्धारण **प्रारूप–5(संलग्नक–6 पर है)** अनुसार किया जाएगा।

वार्ड सभा और उप–समिति के माध्यम से प्राप्त सूची पर एवं अन्या सामान्य सुझाव लोगों से **प्रारूप–6(संलग्नक–7 पर है)** में मांगें जाए।ग्राम पंचायत अपने स्तर परजनहित में प्रस्तावित सूची में नए कार्य जोड़ सकती है या कार्यों में परिवर्तन कर सकती है।

ग्राम पंचायत उप–समिति द्वारा मूल्यांकित परियोजनाओं की समीक्षा(Scrutiny) के लिए राज्य के पंचायती राज विभाग/ अथवा अन्या लाईन विभागों को प्रस्तुत किया जाएगा। ग्राम पंचायत इन परियोजनाओं की समीक्षा(Scrutiny) के उपरान्त अपने संसाधनों के अनुरूप प्रशासनिक अनुमोदन देंगी।(उनमें ग्राम पंचायत प्रशासनिक स्वीकृति देने में सक्षम है)। लाईन विभागों की परियोजनाओं के

मामले में, संम्बंधित कार्यो की प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति लाईन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से ली जाए।

चरण 7: विशेष ग्राम सभा:

ग्राम सभा की विशेष बैठक सभी ग्रामवासियों की भागीदारी से तैयार की गई योजना को अंतिम रूप दने के लिए आयोजित की जाएगी। सभी सेक्टोरल योजनाओं और परियोजनाओं पर ग्राम सभा में चर्चा कर **अंतिम ग्राम पंचायत विकास योजना(Final Gram Panchayat Development Plan)** तैयार होगी। ग्राम सभा में अधिक से अधिक सदस्यों की उपस्थिति तथा भागेदारी सुनिश्चित की जाये। सरपंच, पंच, ग्राम पंचायत संसाधन समूह, कार्य समूह के सदस्य तथा ग्राम पंचायत के प्रतिष्ठित और वरिष्ठ व्यक्ति आदि ग्राम में उपस्थित रहें तथा कम से कम गांव के कुल मतदाताओं के 10 प्रतिशत मतदाताओं को ग्राम सभा में भाग लेने के लिए प्रेरित करें।

विशेष ग्राम सभा, योजनाओं और परियोजनाओं की प्राथमिकता एवं जोखिमों के विश्लेषण करके अंतिम मंजूरी प्रदान करेगी। परियोजनाएं जिन्हें सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी गई है और लाईन विभागों द्वारा निरीक्षण किया गया है को अंतिम जी0पी0डी0पी0 में शामिल करते हुए गाम सभा में सूचित किया जाएगा।

इस प्रकार अंतिम "ग्राम पंचायत–विकास योजना" **प्रारूप–7(संलग्नक–8 पर है)**में तैयार की जाएगी और ग्राम पंचायत के महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रदर्शित की जाएगी ताकि ग्राम पंचायत के निवासियों को सूचित किया जा सके।

उपरोक्त दिये गए विभिन्न चरणों को पूर्ण करने की **समय–सीमा** निम्न प्रकार हैं:

चरण 1	31 जुलाई तक
चरण 2	1 अगस्त से 16 अगस्त तक
चरण 3	10 अगस्त से 31 अगस्त तक
चरण 4 व 5	1 सिंतम्बर से 10 सिंतम्बर तक
चरण 5	16 सितम्बर से 30 सितम्बर तक
चरण 6 व 7	20 सिंतम्बर से 30 सिंतम्बर

यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा व उप समितियों की बैठक अथवा अन्य कार्यावाही बारे, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 व उसके 1994 के नियमों के अर्न्तगत जो भी कानूनी प्रक्रिया पूरी की जानी होती है वह अवश्य की जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त अनुसार आवश्यक कदम उठाते हुए ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने का कार्य शुरू किया जाए तथा उक्त समय अवधि अनुसार पूर्ण किया

जाए। इस संबंध में नियमित प्रगति रिपोर्ट (साप्ताहिक) प्लान प्लस सॉफटवेयर के माध्यम से मुख्यालय को भेजनी होगी। जिसके लिए ग्राम सचिव, खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबन्धक जिम्मेवार होगें।

नोड़ल अधिकारी(एफ0एफ0सी0)
कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
विकास एवं पंचायत विभाग

संलग्नक–1

प्रारूप–1

ग्राम पंचायत प्रोफाईल

(ग्राम पंचायत संसाधन ग्रुप द्वारा भरना)

जिले का नामः_____

खण्ड का नामः_____

ग्राम पंचायत का नामः_____

गांव का नामः_____

क. निर्वाचित प्रतिनिधियों का विवरण

क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रेणी	सम्पर्क

ख. ग्राम पंचायत की स्थाई समितियों का विवरण

1. वित्तीय उप–समिति						
क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रेणी	सम्पर्क
2. उत्पादन उप–समिति						
क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रेणी	सम्पर्क
3. सुविधाएं उप–समिति						
क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रेणी	सम्पर्क
4. सामाजिक न्याय उप–समिति						
क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रेणी	सम्पर्क

5. ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण उप–समिति						
क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रैणी	सम्पर्क

ग. कार्य समूह का विवरण

क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रैणी	सम्पर्क

घ. पंचायत स्टाफ का विवरण

क्र0 सं0	नम	पिता का नाम	पद	शिक्षा	श्रैणी	सम्पर्क

ड़. सामान्य जानकारी

ग्राम पंचायत मे आने वाले गांवों के नाम	ग्राम पंचायतें जो एक ही गांव में आती हैं
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.

च. विभिन्न व्यवसायों में शामिल व्यक्तियों की संख्या

कृषि	संख्या	
म्जदूरी	संख्या	
सरकारी सेवाएं	संख्या	
सेवाएं निवृत कर्मी	संख्या	

सैनिक सेवा	संख्या	
सामाजिक कार्यकर्ता	संख्या	
निजी व्यक्तिगत कम्पनी/उद्योग/संस्थाएं आदि	संख्या	
व्यवसाय जैसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर आदि	संख्या	
शिल्पकार	संख्या	
अन्य (कृपया बताए)	संख्या	

छ. ग्राम पंचायत बारे जानकारी

विषय		माप की ईकाई	आकड़े
भूमि उपयोगता			
पंचायत की कुल भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
वन क्षेत्र		एकड़–कनाल–मरला	
अयोग्य कृषि भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
कृषि योग्य भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
वृक्ष भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
वर्तमान बेकार भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
अन्य बेकार भूमि		एकड़–कनाल–मरला	
कुल बुवाई क्षेत्र		एकड़–कनाल–मरला	
कुल सिंचाई क्षेत्र		एकड़–कनाल–मरला	
सिंचाई के साधन			
जनसांख्किी जानकरी (2011 जनगणना अनुसार)			
कुल जनसंख्या	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
अनुसूचित जाति जनसंख्या	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
पिछड़ा वर्ग–ए जनसंख्या	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
पिछड़ा वर्ग–बी जनसंख्या	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
अन्य पिछड़ा वर्ग	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
सामान्य वर्ग जनसंख्या	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
परिवार	अनुसूचित जाति	संख्या	
	सामान्य वर्ग	संख्या	
	पिछड़ा वर्ग–ए	संख्या	
	पिछड़ा वर्ग–बी	संख्या	

	अन्य पिछड़ा वर्ग	संख्या	
	कुल	संख्या	
विकलांग जनसंख्या			
नेत्रहीन	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
श्रवण (श्रवण शक्ति हीन)	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
गूंगा (बोलने में अयोग्य)	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
शारीरिक रूप से विकलांग	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
मानसिक कमजोर	पुरूष	संख्या	
	महिलाएं	संख्या	
	कुल	संख्या	
बुनियादी ढ़ाचा उपलब्धता			
ग्राम पंचायत में केबल कनेक्शन		संख्या	
पीने के पानी के मुख्य साधन (नल टोटी, बोरवेल, हैड पम्प)		विवरण	
क्या कोई सहकारी समिति काम कर रही है? यदि हाँ, कृपया नाम बताएं		है या नहीं	
क्या कोई व्यवसायिक या कृषि बैंक है? यदि हाँ, कृ पया नाम बताएं		है या नहीं	
बस सुविधा है या नहीं?		है या नहीं	
कुल स्ट्रीट लाइट		संख्या	
काम करती स्ट्रीट लाइट्स		संख्या	
सौर स्ट्रीट लाइट		संख्या	
5 किलोमीटर के भीतर कारखानों / औद्योगिक इकाइयों		संख्या	
5 किलोमीटर के भीतर घोषित वन क्षेत्र		संख्या	
शमशान/घाट कब्रस्तान		है या नहीं	
ग्राम पंचायत मुख्यालय से निकटतम सुविधाओं के लिए दूरी			
ग्राम पंचायत मुख्यालय से गांव या ग्राम पंचायत की दूरी		किलोमीटर	
ग्राम पंचायत कार्यालय		किलोमीटर	
खंड मुख्यालय		किलोमीटर	
बस स्टैंड		किलोमीटर	
प्राथमिक विद्यालय		किलोमीटर	
माध्यमिक विद्यालय		किलोमीटर	
उच्च विद्यालय		किलोमीटर	
सीनियर सेकेंडरी स्कूल		किलोमीटर	

डिग्री कॉलेज		किलोमीटर	
पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज		किलोमीटर	
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान		किलोमीटर	
पशु चिकित्सा उप– केन्द्र/ क्लिनिक		किलोमीटर	
प्राथमिक/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		किलोमीटर	
दवाई की दुकान		किलोमीटर	
डाक घर		किलोमीटर	
उचित मूल्य की दुकान		किलोमीटर	
उर्वरक/कीटनाशक की दुकान		किलोमीटर	
कौशल विकास स्कूल/केन्द्र		किलोमीटर	
जिला मुख्यालय		किलोमीटर	
पुलिस स्टेशन		किलोमीटर	
आंगनबाड़ी केंद्र		किलोमीटर	
कृषि ऋण सहकारी समिति		किलोमीटर	
सामुदायिक केंद्र		किलोमीटर	
मनोरंजन (क्लब, पार्क, गार्डन)		किलोमीटर	
सार्वजनिक पुस्तकालय		किलोमीटर	
शिक्षा			
कुल बच्चों की संख्या 5,10 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में	लडकें	संख्या	
	लड़कियाँ	संख्या	
ऊपर आयु वर्ग में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की कुल संख्या	लडकें	संख्या	
	लड़कियाँ	संख्या	
सरकारी प्राइमरी स्कूल		संख्या	
सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल		संख्या	
बिना सहायता प्राप्त प्राइमरी स्कूल		संख्या	
अपने स्वयं के भवन वाले स्कूलों		संख्या	
निम्नलिखित सुविधा वाले स्कूल			
थ्बजली		संख्या	
चरदीवारी		संख्या	
खेल का मैदान		संख्या	
पीने का पानी		संख्या	
लड़का शौचालय		संख्या	
लड़की शौचालय		संख्या	
पुस्तकालय		संख्या	
रैंप		संख्या	
शिक्षक	स्वीकृतपद	संख्या	
	वर्तमान में काम कर रहे	संख्या	
कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के छात्र		संख्या	
सैनिक स्कूलों के छात्रों (अगर कोई है)		संख्या	
नवोदय स्कूलों के छात्रों (अगर कोई है)		संख्या	
किसान मॉडल स्कूल के छात्र (अगर कोई है)		संख्या	
केन्द्रीय विद्यालयों के छात्रों (अगर कोई है)		संख्या	
स्वास्थ्य – सरकारी सुविधाओं			

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		है या नहीं	
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		है या नहीं	
24 x 7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		है या नहीं	
स्वास्थ्य उप– केंद्र / डिलिवरी हट		है या नहीं	
एम्बुलेंस		है या नहीं	
प्राइवेट डॉक्टर	एलोपैथिक डॉक्टर	संख्या	
	आयुर्वेद डॉक्टर	संख्या	
	यूनानी डॉक्टर	संख्या	
	होम्योपैथी डॉक्टर	संख्या	
	आरएमपी	संख्या	
ग्रामीण स्वास्थ्य स्वच्छता समिति		है या नहीं	
स्वास्थ्य संरक्षण समिति		है या नहीं	
आशा कार्यकर्ता		है या नहीं	
स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है		है या नहीं	
शिशु मृत्यु दर		%age	
टीकाकरण का प्रतिशत		%age	
प्रसूति मृत्यु दर		%age	
कुपोषित बच्चे		संख्या	
कम वजन के जन्म बच्चे		संख्या	
महामारी रोगों से पीड़ित व्यक्ति	हैजा	संख्या	
	आंत्र ज्वर	संख्या	
	पीलिया	संख्या	
	खसरा	संख्या	
	टी बि	संख्या	
	मलेरिया	संख्या	
	फिलेरिया	संख्या	
	डेंगू बुखार	संख्या	
	चिकनगुनिया	संख्या	
	एच1–एन1	संख्या	
	कैंसर	संख्या	
	अन्य (विवरण दें)	संख्या	
कृषि, बागवानी, मधुमक्खी पालन और वाटरशेड			
कृषि विकास अधिकारी	स्वीकृतपद	संख्या	
	वर्तमान में काम कर रहे	संख्या	
लैंड होल्डिंग	सीमांत	संख्या	
	छोटा	संख्या	
	बड़े	संख्या	
	कुल	संख्या	
मुख्य फसलें जो उगाई जाती है		संख्या	
फसलों का अनुमानित (क्षेत्र प्रतिशत)	धान	%age	
	गेहूँ	%age	
	ज्वार/बाजरा	%age	

	सरसों	%age	
	ग्राम	%age	
	कपास	%age	
	दलहन	%age	
	फल और बागवानी/सब्जी की फसल	%age	
	अन्य फसलों	%age	
वाटरशेड विकास की आवश्यकता		है या नहीं	
भूमि समतल की आवश्यकता		है या नहीं	
तालाबों की आवश्यकता		है या नहीं	
मधुमक्खी पालन	शामिल अनुसूचित जाति	संख्या	
	अन्य शामिल	संख्या	
	औसत उत्पादन	संख्या	
मछली पालन			
मछली की खेती के लिए उपलब्ध टैंक		संख्या	
मछली उत्पादन		टन	
इस व्यवसाय में शामिल परिवारों की संख्या	अनुसूचित जाति	संख्या	
	अन्य	संख्या	
पशुपालन			
पशु	गाय	संख्या	
	भेंस	संख्या	
	भेड़	संख्या	
	बकरा	संख्या	
	सूअर	संख्या	
	अन्य घरेलू पशु	संख्या	
पशु चिकित्सा सेवा	अस्पताल	संख्या	
	क्लिनिक	संख्या	
पशु चिकित्सा केंद्र के लिए भवन		है या नहीं	
अगर कोई पशु चिकित्सा केंद्र नहीं है तो निकटतम पशु चिकित्सा केंद्र का नाम और दूरी			
दूध संग्रह केंद्र		है या नहीं	
अगर कोई दूध संग्रह केंद्र नहीं है तो निकटतम दूध संग्रह केंद्र का नाम और दूरी			
दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति		है या नहीं	
अगर दूध उत्पादकों सहकारी समिति है, सदस्य की संख्या का उल्लेख			
क्या कोल्ड स्टोरेज है?		है या नहीं	
यदि हाँ, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता बताये		लीटर	
क्या पशुओं के लिए चारागाह है?		है या नहीं	
यदि हाँ, क्षेत्र बताये		हैक्टर	

पशुधन और मुर्गीपालन की खरीद या बिक्री के लिए बाजार की सुविधा ?			
अगर कोई बाजार की सुविधा नहीं है तो निकटतम बाजार की सुविधा का नाम और दूरी			
लोक स्वास्थ्य सुविधा			
पीने योग्य पानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रति दिन उपलब्ध		लीटर	
क्या किसी बस्ती को पानी की गुणवत्ता से नुकसान उठाना पड़ा है?		है या नहीं	
पाइप कनेक्शन द्वारा जल की सप्लाई, ट्यूबवेल का इस्तेमाल करके	कुल ट्यूबवेल	संख्या	
	ट्यूबवेल जो काम कर है	संख्या	
बोरवेल योजना द्वारा पयजल की सप्लाई	कुल बोरवेल	संख्या	
	बोरवेल जो काम कर रहे है	संख्या	
नल कनेक्शन	कुल सार्वजनिक नल	संख्या	
	कुल व्यक्तिगत घरेलू नल	संख्या	
हाउसिंग			
मकान उपलब्ध	कुल मकान	संख्या	
	आरसीसी छत	संख्या	
	टाइल	संख्या	
	फूस की छत	संख्या	
	अन्य (स्पष्ट करें)	संख्या	
भूमिहीन परिवार		संख्या	
आवासहीन परिवार		संख्या	
स्वच्छता			
व्यक्तिगत घरेलू शौचालय		संख्या	
सामुदायिक शौचालय		संख्या	
अतिरिक्त घरेलू शौचालय की जरूरत		संख्या	
अतिरिक्त सामुदायिक शौचालय की जरूरत		संख्या	
पक्की नालियों		%age	
तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना		संख्या	
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना		संख्या	
क्या कचरा इक्कठा किया जाता है?		है या नहीं	
रोजी रोटी (Livelihood)			
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)			
स्वयं सहायता समूह जो सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं			
स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों में	महिला	संख्या	
	पुरुष	संख्या	

कुल सदस्यों के बीच विकलांग?		संख्या	
सदस्यों की श्रेणीवार विवरण	अनुसूचित जाति	संख्या	
	सामान्य	संख्या	
	बीसी (ए)	संख्या	
	बीसी (बी)	संख्या	
	अल्पसंख्यक	संख्या	
	ओबीसी	संख्या	
	अन्य लोग	संख्या	
स्वयं सहायता समूह जिन्होंने बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में खाता खोला है		संख्या	
साल के अंत में स्वयं सहायता समूहों की कुल बचत			
स्वयं सहायता समूह जिन्होंने सरकार और निगमों से परिक्रामी(revolving) निधि प्राप्त हुआ है			
मुख्य गतिविधियां			
मुख्य उत्पाद			
बिक्री के तरीका			
ग्राम पंचायत की सड़कें			
कच्ची		संख्या	
इंटरलाकिंग ब्लॉक से पक्की		संख्या	
सीमेंट कंक्रीट		संख्या	
ईंट फर्श		संख्या	
कुल		संख्या	
नवीकरणीय ऊर्जा			
बायोगैस संयंत्र		संख्या	
सौर स्ट्रीट लाइट		संख्या	
पॉवर/ऊर्जा			
बिजली के मीटर कनेक्शन वाले घर		संख्या	
औसत बिजली कितने घंटे आती है		घंटे	
सामाजिक कल्याण			
वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों		संख्या	
विकलांगता भत्ता के लाभार्थियों		संख्या	
विधवा भत्ता के लाभार्थियों		संख्या	
वृद्धाश्रम		संख्या	
वृद्धाश्रम जो की उपयोग में लाए जा रहे है		संख्या	
सहकारी समिति		संख्या	
सदस्यों की संख्या	अनुसूचित जाति	संख्या	
	सामान्य वर्ग	संख्या	
	पिछड़ा वर्ग–ए	संख्या	
	पिछड़ा वर्ग–बी	संख्या	
	अन्य पिछड़ा वर्ग	संख्या	
	कुल	संख्या	
प्राथमिक कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक		संख्या	

ग्रामीण वाणिज्यिक बैंक (नाम)	नाम	
महिला एवं बाल विकास		
आंगनबाड़ी केंद्र	संख्या	
सार्वजनिक भवनों में आंगनबाड़ी केंद्र	संख्या	
निजी भवन में आंगनबाड़ी केंद्र	संख्या	
कुल बच्चों के नामांकन	संख्या	
युवा और खेल		
ग्रामीण स्टेडियम	संख्या	
खेल सुविधाएं	नाम	

ज. उद्योग और व्यापार (लघु उद्योग और उसमें काम कर रहे श्रमिक)

व्यवसाय /कॉटेज/छोटे/बड़े पैमाने पर उद्योग	संख्या	
कृषि उपकरणों की बिक्री की दुकान	संख्या	
मछली प्रसंस्करण	संख्या	
खनिज	संख्या	
कुंआ खुदाई/बोरवेल	संख्या	
आटा चक्की	संख्या	
आरा मशीन	संख्या	
गन्ने की पेराई इकाई	संख्या	
बुन मिल (करघे)	संख्या	
प्रावधान दुकान	संख्या	
कार/स्कूटर/साइकिल मरम्मत की दुकान (गैराज)	संख्या	
सुनार	संख्या	
ईंट निर्माण	संख्या	
खाद्य प्रसंस्करण	संख्या	
बढ़ईगीरी	संख्या	
मिस्त्री	संख्या	
मजदूरी	संख्या	
रिक्शा चालक	संख्या	
ऑटो/टैक्सी	संख्या	
ब्यूटी सैलून	संख्या	
दूध प्रसंस्करण	संख्या	
इलेक्ट्रॉनिक/विद्युत उपकरण	संख्या	
लोहार की दुकान	संख्या	
इंटरनेट कैफे	संख्या	
कुल दुकान	संख्या	
अन्य उद्योग	संख्या	

संलग्नक–2

स्थिति विश्लेषण के कदम

1. संसाधन मानचित्रण(Resource Mapping)

कार्य समूह द्वारा गांव के प्राकृतिक व भौतिक/संसाधनों को एक नक्शे पर दर्शाया जाना है। यह एक ऐसा साधन है जो किसी समुदाय और उसके संसाधनो कोजानने में मदद करता है।

उद्देश्यः

गांव के प्राकृतिक व भौतिक संसाधनों की जानकारी और उनकी उपयोगिता के बारे में जानना।

मुख्य प्रश्नः आवश्यक जानकारी

इस नक्शे में बुनियादी ढांचे,(जैसे सड़कों, घरों, इमारतों, पुलों, आदि)पानी के स्थान और स्रोत,कृषि भूमि (फसल किस्मों और स्थानों), जलाऊ लकड़ी स्रोतों, मिट्टी, ढलानों, उन्नयन वन भूमि चराई क्षेत्रों बुनियादी ढांचे, दुकानें, बाजार स्वास्थ्य क्लीनिक, स्कूलों, चर्च, विशेष स्थानों (पवित्र स्थलों, कब्रिस्तान, बस स्टॉप, धार्मिक स्थलों, आदि) की सूचना शामिल होती है।

1 कौन से संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं?
2 कौन से संसाधनों की कमी हैं?
3 क्या सभी को भूमि उपलब्ध है?
4 क्या महिलाओं के पास भूमि है?
5 क्या गरीबों के पास भूमि है?
6 भूमि आबंटन के बारे में कोई निर्णय लेना है?
7 लोग पानी लेने के लिए कहां जाते हैं?
8 पानी कौन इकट्ठा करता है?
9 लोग जलाने वाली लकड़ी कहां से लाते है?
10 कौन लकड़ी एकत्र करता है?
11 लोग पशुओं को चारा खिलाने कहां ले जाते है?
12 पूरा समुदाय किस प्रकार विकास क्रियाएं करता है?
13 किस संसाधन में आपको सबसे अधिक समस्या है?

संसाधन मानचित्रण कैसे तैयारकरें?

1 गांव का एक रफ (Rough) नक्शा कागज पर लें।
2 काम करने के लिए एक बड़ी खुली जगह का पता लगाएं।
3 प्रारंभ में एक केंद्रीय और महत्वपूर्ण स्थान/चिन्ह को एक चट्टान या पत्ते की सहायता से दर्शाए।
4 गांव की सीमाओं को अंकित करें।

5 अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों/संसाधन को नक्शें पर अंकित करें।

6 कार्य समूह(Working Group)नक्शा बनने के बाद सभी को उसे समझाए या उसका वर्णन करें। अगर किसी को कोई बात समझ न आई हो तो उन तथ्यों के बारे में प्रश्न पूछें।

आवश्यक सामग्रीः छड़ें, कंकड़, पत्ते, बुरादा, आटा, गोबर या अन्य स्थानीय सामग्री से संसाधनों को नक्शे पर दर्शाए।

2. सामाजिक मानचित्रण(Social Mapping)

कार्य समूह द्वारा गांव का एक सामाजिक नक्शा ग्रामवासियों की सहायता से तैयार किया जाएगा। जिसमें उस क्षेत्र का सामाजिक ढ़ाचा व संस्थानों को दर्शाया जाना है। इसके माध्यम से हमें विभिन्न परिवारों के बीच सामाजिक व आर्थिक भिन्नताओं को समझने में सहायता मिलती है।

उद्देश्यः

- गांव के सामाजिक ढ़ांचे को समझना तथा परिवारों के मध्य सर्वजातीय समूहों, धर्म व धन के आधार पर भिन्नता को समझना।
- कौन कहां रह रहा है की जानकारी लेना।
- सामाजिक संस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना तथा उन संस्थानों के बारे में विभिन्न लोगों के विचारो को जानना।

मुख्य प्रश्नः

1 सामाजिक संपर्क और सामाजिक सेवाओं के संबंध में गांव की अनुमानित सीमाएँ क्या हैं?

2 गांव में कितने घर हैं और वे कहाँ–कहाँ स्थित हैं?

3 गांव में परिवारों की संख्या घट रही है या बढ़ रही है?

4 गांव में कौन–कौन सी सामाजिक संरचनायें और संस्थायें हैं?

5 गांव में कौन–कौन से धार्मिक समूह पाए जाते हैं? गांव में विभिन्न धार्मिक समूहों के लोग कहां–कहां हैं?

6 गांव में कौन–कौन से जातीय समूह पाए जाते हैं? विभिन्न जातीय समूहों के रहने वाले गांव में कहां–कहां हैं?

7 गांव में कौन–कौन से परिवार महिला नेतृत्व वाले है और वे कहाँ–कहाँ रह रहे हैं?

सामाजिक मानचित्रण कैसे तैयार करें?

1. सभी घरों को दर्शाते हुए एक नक्शा तैयार करें। गांव की सामाजिक घटकों को जानने के लिए(Orientation) नक्शे में गांव की सड़के, गलियां व महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाया जाना मद्दगार होगा।

2. इस बारे चर्चा करे कि हाल के वर्षों में गांव में कितने परिवार बढ़े है या घटे है। अगर कोई बदलाव है तो उसके क्या कारण है और इस कारण कुछ परिवारों या समुदायों के लिए कोई दिक्कतें/मुश्किलें पैदा हुई है
3. इसके अलावा संस्थानों, इमारतों और स्थानों जो कि सामाजिक सेवा कर रहे हो या ऐसा स्थान जो गांववासियों में चर्चा के लिए लोकप्रिय है। उदाहरण हेतू स्कूल, चर्च, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, पारंपरिक चिकित्सकों, समुदाय प्रशासन, समुदाय के नेताओं, स्थानीय दुकान, बाल विहार, ऐसे स्थान जहां पर लोग अक्सर मिलते हैं आदि।
4. नक्शे पर विभिन्न वस्तुओं और प्रतीकों केइस्तेमाल से सभी गांवों के महत्वपूर्ण घटक दर्शाना सुनिश्चित करें। नक्शे पर भिन्न–भिन्न जातीय समूहों को जहां–जहां वे रहते हैं को दर्शाएं। अल्पसंख्यक जातीय समूहों को एकसमान चिन्ह(common symbol)से दर्शाया जाना है।

आवश्यकसामग्रीःप्रलेखन शीट, सफेद कागज, लाठी और अन्य सामग्रीसे सामाजिक घटकों को नक्शे पर दर्शाएं।

3. आजीविका विश्लेषण

कार्य समूह गांव की आजीविका के विवरण और उससे सम्बन्धित समस्याओं को जानने के लिए उनका विश्लेषण करेगें।

पांच मुख्य आजीविका कारक हैं, नामतः मानव कारक, सामाजिक कारक, भौतिक कारक,प्राकृतिक कारक और वित्तीय कारक, आजीविका के विश्लेषण के लिए जांच के मुख्य आधार स्तम्भ है।

उद्देश्यः

क) परिवारों के आजीविका का उद्देश्य क्या हैं? क्या वे वास्तव में उन्हें पूरा करने की उम्मीद करते है? उदाहरण के लिए, कुछ घरों का उददेश्य स्वयं के भोजन के लिए फसल उगाना, जबकि कुछ अन्य घरों का उददेश्य नकदी फसल उगाना तथा अपना भोजन खरीद कर खाना होता है। इन उद्धेश्यों की पूर्ति हेतू उन्हें किन–2 समस्याओं का समना करना पड़ता है।

ख) आप क्या प्रस्ताव कर रहे हैं –क्या यह उन्हें अपने ही उद्देश्यों तक पहुँचने में मदद करता है? क्या आपके और उनके उद्देश्य एक जैसे है या अलग है। क्या अन्य तकनीके अपने उद्धेश्य की पूर्ति करते है तथा नई तकनीक अपनाकर क्या उन्हें अन्य उद्धेश्य भी स्वीकार्य है, जैसे नकदी फसल की प्रचुरता कि बजाए जीवन निर्वाह के लिए कितनी जरूरत है? नए उद्धश्यों प्राप्ति हेतू उन्हें किन–2 प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

आजीविका विश्लेषण कैसे तैयार करें?

उपलब्ध संसाधनों (भूमि, श्रम, पूंजी, आदि) और स्वदेशी प्रौद्योगिकी के साथ उद्देश्यों को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है।

उदाहरणः

1 मानव कारक– मृतक या घर के सदस्यों का खराब स्वास्थ्य

2 सामाजिक कारक–बढ़ती जागरूकता से जंगल में अवैध गतिविधियां कम होना।

3 भौतिककारक–गांव सड़कों से जुड़ा है।

4 प्राकृतिक कारक–अधिक जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए उपलब्ध है

5 वित्तीय कारक– वन संसाधनों का आय में योगदान

आजीविका रणनीतिः

उपरोक्त जानकारी के आधार पर चर्चा के माध्यम से आजीविका रणनीति का तैयार की जाएगी जिसमें उपरोक्त समीक्षा का सम्मिश्रण होगा। कुछ सवाल पूछने के लिए शामिल हैं

क) उनकी मौजूदा आजीविका रणनीति क्या है? इस रणनीति को आगे बढ़ाने में क्या समस्याएं है? मौजूदा समस्याओं को सुलझाने के लिए उनकी रणनीति क्या है? वे अपने उद्देश्यों (अन्य प्रौद्योगिकियों, नई भूमि हकों, नया बाजार के अवसरों, आदि) को प्राप्त करने के लिए अन्य रणनीतियों में रुचि रखते हैं?

ख) नए के साथ पुराने का मिश्रण इस प्रकार हो कि नई पूरी तरह से अलग न लगे। आप कैसे अपनी मौजूदा रणनीति पर निर्माण कर सकते हैं? किस प्रकार मौजूदा रणनीति को अनुकूलित किया जा सकता है ताकि नए अवसरों का लाभ उठाया जा सकें।

4. ट्रांजक्ट वाक(Transect Walk)

कार्य समूह को गांव में चारों ओर घूमकर ग्रामवासियों की आवश्यकताओं के बारे में एवं बुनियादी ढ़ांचे के बारे में विचारविमर्श करना है। यह एक निश्चित रास्ते पर व्यवस्थित फेरा(चक्कर) है जो सारे समुदाय/प्रेजिक्ट क्षेत्र के साथ–साथ स्थानीय लोगों के साथ–2 पानी और स्वच्छता की स्थिति का पता लगाने के लिए सुनकर, देखकर व पूछकर रेखा चित्र(diagram) के रूप में तैयार किया जायेगा।

उद्देश्यः

इसकाउद्देश्य स्थानिक जानकारी को निखारने और क्षेत्र में स्थानीय परिस्थितियों को संगठित करके संक्षेप में प्रस्तुत करना है। गांव में निश्चित उददेश्य हेतू प्रत्यक्ष रूप से जानकारी हासिल की जाती है।

आवश्यक जानकारीः

प्राकृतिक संसाधनों, वर्तमान भूमि उपयोग, खेती, वनस्पति, गांवों में भौतिक सुविधाओं में परिवर्तन और फसल प्रणाली और सार्वजनिक संसाधनों, भूमि उपयोग, सामाजिक भेदभाव, और संस्कृति, मानव बस्ती, समस्याओं आदि के बारे में।

ट्रांजक्ट वाक(Transect Walk)**कैसे करना हैः**

1 स्थानीय लोगों को अपने समुदाय और संसाधनों के बारे में अवधारणा को पहचानने के लिए बात करना।

2 उन्हें उन सभी चीजों के बारे में जो उन्होंने देखी है या उनसे रूबरू हुई हैं के बारे में विचार विमर्श करना या विवरण देना तथा क्षेत्र की मुख्य विशेषताएं जो उन्होंने देखी हो के बारे में बताना।

3 जिन स्थानों पर आप गए है वहां आप द्वारा जोअनुभव किया गया, का विवरण इक्ट्ठा करना (जिस प्रकार सामाजिक नक्शा बनाते समय की गई थी)

4 स्थानीय लोगों द्वारा जिन बातों का अनुभव किया गया है उनका रिकार्ड व विवरण इकट्ठा करना, लिखना तथा जहां आवश्यकता हो उनकाढ़ाचा(Sketch)बनाना।

5 ट्रांजक्ट वाक खत्म होने उपरान्त एक उपयुक्त स्थान पर बैठ जाए तथा ऑकड़ो पर विचारविमर्श करें तथा उन्हें रिकार्ड करें।

6 उक्त सूचना का इस्तेमाल करते हुए एक विस्तृत व्याख्या सहित चित्र तैयार करें। सबसे उपर, उन विभिन्न क्षेत्रों की व्याख्या करें जहां पर स्थानीय विश्लेषक गए हैं, नीचे विभिन्न सूचियो (पेड़, भूमि उपयोग, समस्याएं, निकासी प्रबन्ध आदि) मुख्य बिन्दूओं की सूची बनाए। तत्पश्चात प्रत्येक क्षेत्र में अनुभव किए गए विवरण को भरे/लिखे।

आवश्यकसामाग्रीः नोट बुक, पेन, फिलिप चार्ट पेपर तथा मार्कर आदि से ट्रांजक्ट वाक(Transect Walk) का रेखा–चित्र बनाएं।

संलग्नक–3

प्रारूप 2

वार्ड सभा सूचना/समस्या की पहचान

क0 सं0	संबंधित मुददों से	पहचान की समस्याएं	मांगों /वर्क्स	अतिरिक्त आंकड़े/सूचना	वार्ड प्राथमिकता
A	**सामाजिक पहलूओं**				
1	**कौशल विकास** 1. स्वयं सहायता समूह की संख्या 2. व्यक्तियों की संख्या जिन्हे कौशल प्रशिक्षण चाहिए 3. प्रशिक्षण का विषय • आई0टी0 • वित्त • यांत्रिक • सिलाई • हस्तशिल्प • वीविंग • अन्य				
2	**शिक्षा** 1. स्कूल में दाखिल बच्चों की संख्या 2. बच्चों की संख्या जो कभी स्कूल नहीं गया(6से14वर्ष) • लड़के • लड़कियाँ 3. स्कूल छोडने वाले बच्चों की संख्या (6से14वर्ष) • लड़के • लड़कियाँ				
3	**महिला एवं बाल विकास** a. बाल श्रम • लड़के • लड़कियाँ b. बाल विवाह के मामलों की संख्या				
4	**स्वास्थ्य** a. पंजीकृत गर्भवती महिलाओं की संख्या b. वार्ड अनुसार 0 से 1 वर्षके आयु के शिशुओं की मृत्यु				

	की संख्या • लड़के • लड़कियाँ c. बच्चों की मृत्यु की सूचना (0 से 5 वर्ष) • लड़के • लड़कियाँ d. प्रसूति के दौरान माता की मृत्यु की संख्या e. विकलांगता के साथ पैदा हुए बच्चों की संख्या • लड़के • लड़कियाँ f. कुपोषित बच्चों की संख्या • लड़के • लड़कियाँ g. एनीमिया के साथ गर्भवती h. टीकाकरण (केसों की संख्या) • बच्चें • गर्भवती महिला i. क्षेत्र में प्रमुख रोग				
5	**सामाजिक न्याय** 1 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या • पुरूष • महिला 2 अनुसूचित जाति की संख्या • पुरूष • महिला 3 पिछड़े वर्ग की संख्या • पुरूष • महिला 4 अलग विकलांग व्यक्तियों की संख्या • पुरूष • महिला 5 अल्पसंख्यकों की संख्या • पुरूष • महिला 6 वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले				

	व्यक्तियों की संख्या • पुरूष • महिला 7 विधवा पैंशन लेने वाले व्यक्तियों की संख्या • पुरूष • महिला 8 विकलांगता भत्ता लेने वाले व्यक्तियों की संख्या • पुरूष • महिला 9 अनुसूचित जातियों का विकास 10 अलग विकलांग व्यक्तियों का विकास 11 पिछड़े वर्ग का विकास 12 अल्पसंख्यकों का विकास 13 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं				
B	**मूलभूत सुविधाएं**				
1.	**पीने के पानी की गुणवता** a. नमक की अधिक मात्रा b. प्रदूषित जल c. अन्य (विवरण करे)				
2.	**पानी के स्त्रोत** a. कुल नलकूप b. कार्यरत नलकूप c. कुल कूएं d. कुएं जो उपयोग में नहीं है e. कुल सार्वजनिक नल f. कुल व्यक्तिगत घरेलू नल g. जल पाईप लाईन (हां/नहीं) h. अन्य (विवरण करे)				
3	**मकान** a. कुल परिवार b. आर0सी0सी0 छत c. टाईलो वाली छत d. फूस की छत e. अन्य (विवरण करे)				
3.	**स्वच्छता** a. शौचालय वाले घरों की संख्या				

	b. कितने समुदाय शौचालयों का निर्माण करना है c. कुल नालियां (मीटर में) • खुली • ढकी हुई d. कितनी नालियां और बनानी है(मीटर में) e. तरल अपशिष्ट निपटान के परियोजना के साथ जुड़े हुए नालियां f. कचरा साफ करने का प्रबन्ध है?				
4	**बिजली** a. बिजली मीटर वाले घरों की संख्या b. उपलब्ध स्ट्रीट लाईट की संख्या c. सौर ऊर्जा वाली स्ट्रीट लाईटों की संख्या d. कितनी और स्ट्रीट लाईटों की आवश्यकता है				
C	**आधारिक संरचना**				
1	**वार्ड में गलियां** a. कच्ची b. इंटरलाकिंग ब्लॉक पक्की गली c. सीमेंट गली d. ईटों से बनी गली e. कितनी गलियों को रख–रखाव की जरूरत है				
2	**वार्ड में समुदायिक संपति** a. आंगनबाडी केन्द्र b. वृद्धाआश्रम c. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र d. प्राथमिक विद्यालय e. माध्यमिक विद्यालय f. पंचायत घर g. सामुदायिक केन्द्र h. सामान्य चौपाल i. अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग की चौपाल				
3	**किसी भी अन्य बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता**				

D	संस्थानों से संबन्धित अन्य समस्याएं				
1	**आंगनबाड़ी की समस्याएं** a. नियमित आशा वर्कस की नियुक्ति b. आंगनबाड़ी में उपस्थित बच्चों की संख्या c. दोपहर का भोजन (मिड डे मिल) d. साफ सफाई e. बस्ती से दूरी				
2	**स्कूल की समस्याएं** a. अलग शौचालय b. अध्यापकों की उपलब्धता c. दोपहर का भोजन (मिड डे मिल) d. स्वच्छता e. बुनियादी सुविधाएं f. कम्प्यूटर g. पुस्तकालय h. बस्ती से स्कूल की दूरी i. अन्य (कृप्या विवरण दे)				
3	**प्राथमिक उपचार केन्द्रों में समस्याएं** a. डॉक्टर की उपस्थिति b. दवाईयां की उपलब्धता c. इलाके से दूरी d. अन्य (कृप्या विवरण दे)				
4	**स्वयं सहायता समूह की समस्याएं**				
5	**युवाओं और किशोरों की समस्याएं** a. नशीली दवाओं के लत के मामले b. लड़की की सुरक्षा c. महिलाओं की समस्या हेतु स्वच्छता सुविधाएं d. स्वच्छता e. अन्य (कृप्या विवरण दे)				
6	**वृरिष्ठ नागरिकों की समस्याए**				
7	**अलग विकलांग लोगों की समस्याए**				
8	**खाद्य सुरक्षा योजनाओं के कार्यन्वयन में समस्याएं** a. परिवार के पास राशन कार्ड होना b. बी0पी0एल0 परिवारों की				

	संख्या c. कितने परिवार को सुविधाए मिलती है d. अन्य (कृप्या विवरण दे)				
9	बागवानी से सम्बन्धित समस्याएं				
10	पशु पालन से सम्बन्धित समस्याएं				
11	मत्स्य पालन से सम्बन्धित समस्याएं				
12	मधुमखी पालन से सम्बन्धित समस्याएं				
13	अन्य समस्याएं				

संलग्नक–4

प्रारूप 3

सेक्टर वाइस समेकित (consolidated) मांग सूची

क्र0 सं0	उप–समिति	सेक्टर	वर्तमान स्थिति	समस्याएं एवं आवश्यकताएं	समाधान/सुझाव
1	उत्पादन	कृषि उत्पादन			
		पशुपालन			
		ग्रामीण उद्योगों (लघु उद्योगों सहित) से संबंधित कार्य			
		मत्स्य पालना			
		गरीबी उन्मूलन			
2	सामाजिक न्याय	शिक्षा			
		आर्थिक			
		सामाजिक			
		सांस्कृतिक			
		खेल			
		अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग			
		अन्य कमजोर वर्गों			
		अनुसूचित जातियों और वर्गों के सामाजिक अन्याय और किसी अन्य प्रकार शोषण का संरक्षण			
		महिलाओं और बच्चों के कल्याणा			
		समाज कल्याण			
		बुजुर्ग			
		शारीरिक व मानसिक रूप से विकलांग			
3	सुविधा	शिक्षा			
		सार्वजनिक स्वास्थ्य			
		लोक निर्माण (ऊर्जा व बिजली सहित)			
4	**ग्रामस्वास्थ्य, स्वच्छता एंव पोषण**	स्वास्थ्य और पोषण			
		ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस			
		कुपोषण के कारण			
		समुदाय के कुपोषित बच्चों			
		रेफरल टाई को निकटतम पोषण पुर्नवास केन्द्र			
		पोषाहार की ग्राम स्वास्थ्य योजना में समावेश की जरूरतों बारे – समिति,			

		समुदाय और घरेलू स्तर पर			
		समुदाय परामर्श की प्रक्रिया के माध्यम से उच्च पोषक मूल्य के स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों के साथ ही प्रसार को पहचानना और सर्वोतम प्रथाओं (पारंपरिक ज्ञान) स्थानीय संस्कृति, क्षमताओं और भौतिक वातावरण के अनुकूल बढ़ावा देना।			
5	**वित्त**	वित्तीय खातों,			
		सभी केन्द्रीय अथवा राज्य आयोजित योजनाएं/स्कीमें तथा पंचायत के अपने संसाधनों से अर्जित राशि			

संलग्नक–5

प्रारूप4

सेक्टर वाइज योजना

(सम्बंधित उपसमिति द्वारा प्रस्तावित)

ब्लॉक का नाम:

ग्राम पंचायत का नाम:

गांव का नाम:

क्र0 सं0	सेक्टर	कार्यकाविवरण	अनुमानितलागत	योजना का नाम	समय अवधि	परिणाम	लाभार्थीः महिलाएं/ बच्चे /अनुसूचित जाति/सभीग्रामवासी
सामुदायिक वर्क्स							
बिनालागत के विकासकार्य							
लागत के विकास कार्य							
व्यक्तिगत लाभार्थी							
जो कार्य कार्यान्वित नहीं हुए(लंबित सूची)							
सामुदायिक वर्क्स							
बिनालागत के विकासकार्य							
लागत केविकास कार्य							
व्यक्तिगत लाभार्थी							

संलग्नक–6

प्रारूप 5
वित्तीय/मानव संसाधन

ग्राम पचांयत द्वारा नीचे दिए गए प्रारूप पर उपलब्ध मानव/वित्तीय संसाधनों का विवरण संकलित किया जाएगाः

1. ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध वित्तीय संसाधन:

क्र0 सं0	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1	स्वयं के आय के श्रोत (OSR)		
2	14वां वित्त आयोग		
3	राज्य वित्त आयोग		
4	मनरेगा		
5	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		
6	शराब की बिक्री से प्राप्त आय का अंश		
7	सरचार्ज ऑन वैट		
8	दान राशि, अंशदान, पुरस्कार राशि आदि		
9	अन्य राज्य और केंद्रीय योजनाऐ जिसका धन सीधे पंचायतों (लाइन विभागों के धन सहित) को प्राप्त हो रहा है		

2. पंचायत व्यय:

क्र0 सं0	योजना/संसाधन का नाम	वर्ष 2015–16	वर्ष 2016–17
1	स्वयं के आय के श्रोत (OSR)		
2	14वां वित्त आयोग		
3	राज्य वित्त आयोग		
4	मनरेगा		
5	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)		
6	शराब की बिक्री से प्राप्त आय का अंश		
7	सरचार्ज ऑन वैट		
8	दान राशि, अंशदान, पुरस्कार राशि आदि		
9	अन्य राज्य और केंद्रीय योजनाऐ जिसका धन सीधे पंचायतों (लाइन विभागों के धन सहित) को प्राप्त हो रहा है		

3. मानव संसाधन

मानव संसाधन–पंचायती राज एवं ग्राम विकास विभाग के ग्राम पंचायत में कार्यरत कर्मचारी:

क्र0 सं0	कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	संख्या	कार्यक्षेत्र
1	सचिव	पंचायती राज		
2	सफाईकर्मी	पंचायती राज		
3	रोजगार सहायक	ग्राम विकास		
4	एन0आर0एल0एम0	ग्राम विकास		
5	अन्य			

अन्य विभागों के कर्मचारी जो ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध हैं:

क्र0 सं0	कर्मचारियों की उपलब्धता	विभाग का नाम	संख्या	कार्यक्षेत्र
1	ए.एन.एम.	स्वास्थ्य		
2	आशा	स्वास्थ्य		
3	अन्य			

संलग्नक–7

प्रारूप6

प्रस्ताव प्रारूप

ग्राम पंचायत का नामः
खण्ड पंचायत का नामः
जिला पंचायत का नामः

क्र0सं0	प्रस्तावक	प्रस्ताव	प्रस्ताव की प्रकृति लाभार्थीपरक / संरचनात्मक	अपेक्षित लाभ

संलग्नक–8

प्रारूप7

ग्राम सभा से अनुमोदित अंतिम योजना (बजट)

ग्राम पंचायत विकास योजना निम्नलिखित प्रारूप पर चिन्हित की जायेगी

अनुक्रमणिका		
1)	परिचय	
2)	ग्राम पंचायत का संक्षिप्त विवरण	
3)	पंचायत का विजन स्टेटमेन्ट	
4)	पारिस्थितिकी विश्लेषण का विवरण	
5)	बैठक का कार्यवृत्त एवं प्रतिभागियों की सूची	
6)	ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण	
	(क)	ग्राम पंचायत योजना में लिए गये कार्यों का विस्तृत विवरण
	(ख)	पंचायत के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण
	(ग)	लाइन विभाग के स्रोतों द्वारा लिए गये कार्यों का विवरण
7)	क्षेत्रवार विवरण	
	(क)	टाईड कम्पोनेन्ट (क्षेत्रवार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय)
	(ख)	अनटाईड कम्पोनेन्ट (अपेक्षित आवंटन)
8)	योजनावार अपेक्षित आवंटन के सापेक्ष सुनियोजित परिव्यय	
9)	कार्य का विवरण (योजनावार)	
10)	अन्य बिन्दु	

जिले का नाम:
ब्लॉक का नाम:
ग्राम पंचायत का नाम:
गांव का नाम:

क्र0 सं0	सेक्टर	कार्य का नाम	लागत	फंड स्रोत								समय अवधि	परिणाम	लाभार्थी: महिलाएं / बच्चे / अनुसूचित जाति / सभी ग्रामवासी
				स्वयं के संसाधन	14वां वित्त आयोग	राज्यवित्त आयोग	शराब की बिक्री से प्राप्त आय का अंश	सरचार्ज ऑन वैट	मनरेगा	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	अन्य			
	(1) सामुदायिक वर्क्स													
	(1.1) बिनालागत के विकासकार्य													
1														
2														
3														
4														
	(1.2) लागत केविकास कार्य													
1														
2														
3														
4														
	(2) व्यक्तिगत लाभाथी													

1														
2														
3														
4														
	(3) **जो कार्य कार्यान्वित नहीं हुए(लंबित सूची)**													
	(3.1) व्यक्तिगत लाभार्थी													
1														
2														
3														
4														
	(3.2) सामुदायिक वर्क्स													
	(3.2.1) बिनालागत के विकासकार्य													
1														
2														
3														
4														
	(3.2.2) लागत केविकास कार्य													
1														
2														
3														
4														